फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		~~पत्रावली आज उपरान्त नीचे के सभी अभियान ______ में पेश हुई। पक्षकारान /कैम्प कोर्ट ग्राम ______ उप/अनु पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक ______ को पेश हो।~~
	16/11/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/12/23 को पेश हो।
	13/12/23	प.फ. उपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 12/01/24 को पेश हो।
	12/1/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पुत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 23/2/24 को पेश हो।
	23/2/24	प.क. उपस्थित। बहस सुनी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अवमानना अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर काम हो। बाद तामील ...

(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूं, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–16/2017

उनवान

1. लालूराम पुत्र मोहरु रैगर
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी लालूराम रैगर

निवासीगण दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हनुमान पुत्र भगताराम शर्मा
2. कानाराम पुत्र भगताराम शर्मा
3. रामलाल पुत्र भगताराम शर्मा
4. चौथमल पुत्र भगताराम शर्मा
5. मंगलचन्द पुत्र भगताराम शर्मा
6. सुन्दरी देवी पत्नी लक्ष्मण यादव
7. सीताराम पुत्र कानाराम शर्मा
8. भागचन्द पुत्र कानाराम शर्मा
9. नारायण पुत्र सीताराम शर्मा
10. बोदूराम पुत्र भागचन्द शर्मा
11. अर्जुनलाल पुत्र भागचन्द शर्मा
12. मालीराम पुत्र हनुमान शर्मा
13. रामलाल पुत्र लक्ष्मण यादव
14. जगदीश पुत्र हनुमान यादव
15. प्रेमदेवी पत्नी जगदीश यादव
16. लछमा देवी पत्नी नारायण शर्मा

निवासी दम्बा का बास तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट (अवमानना)

आदे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 23.02.2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2006 को दावा व टी0आई0 पेश किया गया जिस पर कार्यालय रिपोर्ट होने पर श्रीमान् ने बहस टी0आई0 पर सुना व सुनकर दिनांक 04.01.2006

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Scanned with OKEN Scanner

को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश फरमाये थे जो कि आज दिनांक तक प्रभावी है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण आपसी षड़यंत्र पूर्वक एक राय होकर दिनांक 16.03.2006 को प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर आये तथा कुछ हिस्से में से फसल काटकर ले गये। जिन्हे प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने पर उतारु हो गये। जिसकी सूचना पुलिस थाना चौमूं में दी गयी तो पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे अप्रार्थीगण का और अधिक हौसले बढ़ गया व आज दिन तक अपनी दादागिरी से फसल काट रहे है व कहते है कि हम कोई कोर्ट (न्यायालय) का स्टे आदि नहीं मानते जो कि हमारी थाने आदि में बहुत उंची तक पहुंच है। इसलिए हम तो फसल काटकर ही रहेंगे। अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि अप्रार्थीगण खुलेआम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे है। जिसके लिए अप्रार्थीगण को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित फरमावे। उक्त आदेश श्रीमान् न्यायालय का है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णित करने का अधिकार श्रीमान् को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा अप्राथीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मन अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.03.2006 या अन्य किसी दिवस को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में कभी भी प्रवेश नहीं किया, ना ही मन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से कोई मारपीट की गई, प्रार्थीगण आये दिन मन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्रमें किस खसरा नम्बर से किस फसल को काटा इस बात का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं होने से प्रार्थना पत्र का मिथ्या होना साबित है व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है। मन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मय स्थगन के पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण का मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द कर रखा है जिससे नाराय होकर यह झूंठा प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण मन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 112/506, 104/507, खसरा नम्बर 104, 104/508, 104/509, 104/410, 132 के दक्षिणि और सीमा जोड के पडोसी खातेदार है जो आये दिन यह कह–कह कर विवाद उत्पन्न करते है कि आप अप्रार्थीगण हमारी भूमि पर काबिज है, मन अप्रार्थीगण का कृषि कार्य में महाहमत करते है व झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी देते है जबकि मन अप्रार्थीगण काबिज केवल स्वयं की खातेदारी पर है व कब्जेकाश्त की भूमि पर ही पुश्तैनी [illegible] आ रहे है। मन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा/[illegible] की आराजीयात में मन अप्रार्थीगण की आराजीयात् 4 फिट [illegible] द्वारा जारी नक्शे में मन अप्रार्थीगण की आराजीयात की दक्षिणी सीमा रेखा की उत्त[illegible] और करीब 30 फिट दबाकर व उत्तरी और की सीमा रेखा को दक्षिणी और 40 फिट उठाकर व पूर्वी–पश्चिमी रेखा को पूर्व नक्शे व कब्जे अनुसार नहीं बनाया जाकर भिन्न प्रकार बना दी गई जिससे मन अप्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक [illegible]
(फास्ट [illegible])
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काफी जमीन व खसरा नम्बर 104/510 में बने चाह व उसमें लगे विद्युत सम्बन्ध को सीमा रेखा से बाहर कर दिया। जो समस्त इन्द्राजात अवैध शून्य व बमुकाबले अप्रार्थीगण के बेअसर है जिस गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रार्थीगण मन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दोराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अवमानना को साबित करने हेतु ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे न्यायालय अवमानना साबित हो। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner